मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित

आदेश

क्रमांक/मा.चि./2020 22 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 3–09–2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे0 मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति	योजना अवधि
इन्दौर	इन्दौर	महू–सनावद गैज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	कक्ष क्र. 186	30.000	112.16	30000	सागौन, नीम, चिरोल, खमेर,कस्टार, देशी खैर अन्य फलदार	2020–21 से 2030–31

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरूद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्याधीन मान्य रहेगी :–

1 समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।

2 फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।

3 स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।

4 वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यो का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

5 तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

6 कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवें बदलाव कर सकेगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

7 शासन तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

8 प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावें।

9 योजना में जिन कार्यो के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।

10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।

11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।

12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।

13 प्रस्तावित क्षेत्र के Google earth का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यो को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।

15 कार्य के दौरान समस्त कार्यो के फोटोग्रॉफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्रॉफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये है, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

16 जहाँ तक संभव हो ठूँठ ड्रेसिंग एव पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावें। उपरोक्त दोनों कार्यो को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावें। भू एवं जल संरक्षण के कार्य में नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावें चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावें।

17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।

18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावें तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावें।

19 खाद / निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावें। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नही कराया जावें। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावें। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाउ मिट्टी प्राप्त की जावें।

20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।

21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावें।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल, इन्दौर
आमद क्र. 395
दिनांक 09/01/2020

(सी.एस. निनामा)
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

पृ.क्र. / मा.चि. / 2020 193 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

प्रतिलिपि :-

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक / माचि / 2020 / 168 दिनांक 4.1.2020के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता / असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

3 आदेश प्रति।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में

DM

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित

आदेश

क्रमांक/मा.चि./2020 24 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 3–09–2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे0 मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति	योजना अवधि
इन्दौर	इन्दौर	महू–सनावद गैज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	कक्ष क्र. 266	46.000	189.26	46000	सागौन, नीम, चिरोल, खमेर,कस्टार, देशी खैर अन्य फलदार	2020–21 से 2030–31

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरूद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन मान्य रहेगी :–

1. समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।
2. फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।
3. स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।
4. वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
5. तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
6. कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवें बदलाव कर सकेंगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
7. शासन तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
8. प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावें।
9. योजना में जिन कार्यो के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।

10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।

11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।

12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।

13 प्रस्तावित क्षेत्र के **Google earth** का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यो को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।

15 कार्य के दौरान समस्त कार्यो के फोटोग्रॉफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्रॉफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये है, फ़ोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

16 जहाँ तक संभव हो ठूँठ ड्रेसिंग एवं पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावें। उपरोक्त दोनों कार्यों को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावें। भू एवं जल संरक्षण के कार्य में नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावें चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावें।

17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।

18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावें तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावें।

19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावें। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नही कराया जावें। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावें। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाउ मिट्टी प्राप्त की जावें।

20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।

21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावें।

(सी.एस. निनामा)
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल, इन्दौर
आवक क्र. 394
दिनांक 09/01/2020

पृ.क्र./मा.चि./2020 195 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

प्रतिलिपि :-

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2020/168 दिनांक 4.1.2020के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता/असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

3 आदेश प्रति।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में

DM

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित

आदेश

क्रमांक / मा.चि. / 2020 25 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621 / 3 / नियम / चार, भोपाल दिनांक 3–09–2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	परिक्षैत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे0 मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति	योजना अवधि
इन्दौर	मानपुर	महू–सनावद गैज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	01 पी परिक्षेत्र मानपुर	46.000	172.43	46000	बांस, सागौन, नीम, आंवला, चिरोल, शीशु एवं अन्य	2020–21 से 2030–31

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरूद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्याधीन मान्य रहेगी :–

1 समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।

2 फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।

3 स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।

4 वनमण्डलाधिकारी / उप वनमण्डलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

5 तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

6 कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवें बदलाव कर सकेगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

7 शासन तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

8 प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावें।

9 योजना में जिन कार्यों के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।

10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।

11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।

12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।

13 प्रस्तावित क्षेत्र के **Google earth** का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यो को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।

15 कार्य के दौरान समस्त कार्यो के फोटोग्रॉफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्रॉफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये है, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

16 जहाँ तक संभव हो ठूँठ ड्रेसिंग एव पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावें। उपरोक्त दोनों कार्यो को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावें। भू एवं जल संरक्षण के कार्य में नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावें चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावें।

17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।

18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावें तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावें।

19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावें। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नही कराया जावें। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावें। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाउ मिट्टी प्राप्त की जावें।

20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।

21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावें।

(सी.एस. निनामा)
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

पृ.क्र./मा.चि./2020 196 इन्दौर दिनांक 8.1.2020

प्रतिलिपि :-

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2020/168 दिनांक 4.1.2020के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ–साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता/असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

3 आदेश प्रति।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में

DM

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल, इन्दौर
आमद क्र. 393
दिनांक 09/01/2020

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित

आदेश

क्रमांक / मा.चि. / 2020 20 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621 / 3 / नियम / चार, भोपाल दिनांक 3–09–2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे0 मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति	योजना अवधि
झाबुआ	पेटलावद	महू–सनावद–गेज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	कक्ष क्र. 341 नया (194) पुराना रताम्बा	200.000	526.58	200000	नीम, चिरोल,बबूल, शीशु,सफेद सिरस, जामुन, बहेड़ा, महुआ, ऑवला, खमेर एवं अन्य प्रजातियाँ आदि	2020–21 से 2030–31

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरूद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन मान्य रहेगी :–

1 समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।

2 फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।

3 स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।

4 वनमण्डलाधिकारी / उप वनमण्डलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

5 तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

6 कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवें बदलाव कर सकेगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

7 शासन तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

8 प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावें।

9 योजना में जिन कार्यों के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।

10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।

11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।

12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।

13 प्रस्तावित क्षेत्र के Google earth का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यो को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।

15 कार्य के दौरान समस्त कार्यो के फोटोग्रॉफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्रॉफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये है, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

16 जहाँ तक संभव हो ठूँठ ड्रेसिंग एव पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावें। उपरोक्त दोनों कार्यो को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावें। भू एवं जल संरक्षण के कार्य में नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावें चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावें।

17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।

18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावें तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावें।

19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावें। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नही कराया जावें। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावें। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाउ मिट्टी प्राप्त की जावें।

20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।

21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावें।

(सी.एस. निनामा)
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

पृ.क्र./मा.चि./2020 191 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

प्रतिलिपि :–

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल झाबुआ की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2020/98 दिनांक 3.1.2020के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ–साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता/असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

3 आदेश प्रति।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

DM

8/1/20

वनमण्डल झाबुआ को प्रेषित करें

STN

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित

आदेश

क्रमांक/मा.चि./2020 21 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 3–09–2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे0 मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति	योजना अवधि
झाबुआ	झाबुआ	महू–सनावद–गेज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	कक्ष क्र. 409 नया (302) पुराना कालीदेवी	100.000	309.77	100000	नीम, चिरोल,बबूल, शीशु,सफेद सिरस, जामुन, बहेड़ा, महुआ, खैर, शीशम, ऑवला, इमंली खमेर आदि	2020–21 से 2030–31

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरूद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्याधीन मान्य रहेगी :–

1. समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।
2. फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।
3. स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।
4. वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यो का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
5. तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
6. कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवें बदलाव कर सकेगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
7. शासन तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
8. प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावें।
9. योजना में जिन कार्यो के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।

10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।

11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।

12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।

13 प्रस्तावित क्षेत्र के **Google earth** का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यो को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।

15 कार्य के दौरान समस्त कार्यो के फोटोग्रॉफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्रॉफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये है, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

16 जहाँ तक संभव हो ठूँठ ड्रेसिंग एव पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावें। उपरोक्त दोनों कार्यो को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावें। भू एवं जल संरक्षण के कार्य मे नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावें चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावें।

17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।

18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावें तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावें।

19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावें। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नही कराया जावें। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावें। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाउ मिट्टी प्राप्त की जावें।

20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।

21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावें।

सी.एस. निनामा
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

पृ.क्र./मा.चि./2020 192 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

प्रतिलिपि :-

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल झाबुआ की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2020/98 दिनांक 3.1.2020के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता/असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

3 आदेश प्रति।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

DM 8/1/20

वनमण्डल झाबुआ को प्रेषित करें

28K849 -8 JAN 2020

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित
आदेश

क्रमांक / मा.चि. / 2020 23 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 3–09–2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे0 मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति	योजना अवधि
इन्दौर	इन्दौर	महू–सनावद गैज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	कक्ष क्र. 224	42.000	163.29	42000	बांस, सागौन, नीम, आंवला, चिरोल, शीशु	2020–21 से 2030–31

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरूद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्याधीन मान्य रहेगी :–

1 समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।

2 फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।

3 स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।

4 वनमण्डलाधिकारी / उप वनमण्डलाधिकारी कार्यो का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

5 तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

6 कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवें बदलाव कर सकेगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

7 शासन तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

8 प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावें।

9 योजना में जिन कार्यो के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।

10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।

11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।

12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।

13 प्रस्तावित क्षेत्र के **Google earth** का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यो को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।

15 कार्य के दौरान समस्त कार्यों के फोटोग्रॉफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्रॉफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये है, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

16 जहाँ तक संभव हो ठूँठ ड्रेसिंग एव पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावें। उपरोक्त दोनों कार्यो को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावें। भू एवं जल संरक्षण के कार्य में नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावें चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावें।

17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।

18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावें तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावें।

19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावें। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नही कराया जावें। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावें। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाउ मिट्टी प्राप्त की जावें।

20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।

21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावें।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल, इन्दौर
आमद क्र. 397
दिनांक 09/01/2020

(सी.एस. निनामा)
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

पृ.क्र./मा.चि./2020 194 इन्दौर दिनांक 8-1-2020

प्रतिलिपि :-

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2020/168 दिनांक 4.1.2020के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता/असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

3 आदेश प्रति।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
इन्दौर वृत्त, इन्दौर

DM
8/1/20